# 10 अरब डॉलर पहुंचा स्मार्टफोन निर्यात

## आईफोन निर्यात ने बनाया नया रिकॉर्ड, भारत को बड़ी बढ़त

**नई दिल्ली, 29 जुलाई. भारत ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में स्मार्टफोन निर्यात के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून तिमाही के दौरान देश का स्मार्टफोन निर्यात लगभग 10 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान एप्पल आईफोन की शिपमेंट का रहा.**

अप्रैल-जून अवधि के दौरान मूल्य के आधार पर स्मार्टफोन निर्यात 23.4 प्रतिशत बढ़कर 9.84 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 7.97 अरब डॉलर था. इस दौरान भारत से निर्यात होने वाले स्मार्टफोन के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार बना रहा, जहां भारत में निर्मित डिवाइसों की मजबूत मांग देखने को मिली. स्मार्टफोन निर्यात के शानदार प्रदर्शन का असर देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पर भी पड़ा. अप्रैल-जून अवधि में कुल 15.2 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के निर्यात में अकेले स्मार्टफोन की हिस्सेदारी 64.8 प्रतिशत रही. भारत की निर्यात बास्केट में स्मार्टफोन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में 'मेड इन इंडिया' स्मार्टफोन की शिपमेंट में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि निर्यात में 28 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया. देश में निर्मित कुल स्मार्टफोन में से लगभग एक-तिहाई स्मार्टफोन निर्यात किए गए.

इस वृद्धि में एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग साझेदार सबसे बड़े योगदानकर्ता रहे. होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप (फॉक्सकॉन) का निर्यात 2025 में आईफोन की मजबूत शिपमेंट के चलते सालाना आधार पर 48 प्रतिशत बढ़ा.

> इस साल की शुरुआत में भारत से आईफोन का निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिससे एप्पल सभी उत्पाद श्रेणियों में देश का सबसे बड़ा एकल ब्रांडेड निर्यातक बन गया. पूरे वित्त वर्ष के दौरान भारत से कुल स्मार्टफोन निर्यात लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें आईफोन की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से अधिक (करीब 22 अरब डॉलर) रही.

## डॉलर की तुलना में रुपया 17 पैसे मजबूत

**मुंबई, 29 जुलाई.** कच्चे तेल में रही नरमी से मंगलवार को रुपया 17 पैसे मजबूत हुआ और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 95.82 रुपये का बोला गया. भारतीय मुद्रा लगातार तीसरे दिन मजबूत हुई है. पिछले कारोबारी दिवस पर यह 54 पैसे चढ़कर 95.99 रुपये प्रति डॉलर पर रही थी. तीन दिन में रुपया 91 पैसे मजबूत हो चुका है. रुपया आज 24 पैसे की बढ़त में 95.75 रुपये प्रति डॉलर पर खुला.

यह ऊपर 95.63 रुपये और नीचे 95.82 रुपये प्रति डॉलर तक गया. अंत में 95.82 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में आज नरमी रही. लंदन का ब्रेंट क्रूड वायदा दो प्रतिशत फिसलकर 86.5 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. इससे रुपये को समर्थन मिला.

# 4.7 करोड़ लोगों ने दाखिल किया आयकर रिटर्न

**रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है**

**आयकर विभाग आईटीआर दाखिल करने के लिए कर रहा प्रोत्साहित**

**नई दिल्ली, 29 जुलाई. आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए जरूरी खबर है. रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.**

वहीं विभाग के मुताबिक आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है और बुधवार सुबह 11 बजे तक असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए करीब 4.70 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं. यह जानकारी आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई. आयकर विभाग के मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए दाखिल हुए आईटीआर में से 4.40 करोड़ वेरीफाई हो चुके हैं, जबकि करीब 2.34 करोड़ प्रोसेस हो चुके हैं.

वहीं, आयकर विभाग भी करदाताओं को जल्द से जल्द आईटीआर दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है.

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर की एक पोस्ट में कहा कि आईटीआर भरने को कल पर न टालें और आखिरी तारीख का इंतजार न करें. जल्द से जल्द असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-2 फाइल करें.

> आईटीआर फाइल करने के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई उन लोगों के लिए है, जिन्हें टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती. इसमें वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनभोगी, छात्र और अन्य शामिल होते हैं. आईटीआर-1 (सहज) उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है जिनकी कुल आय वेतन या पेंशन, एक मकान से आय और अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज) से होती है. इसे वही व्यक्ति भर सकता है जिसकी कुल वार्षिक आय निर्धारित सीमा 50 लाख के भीतर हो और जिसे व्यवसाय या पेशे से आय, पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) या एक से अधिक मकानों से आय न हो. सरल आय वाले अधिकांश वेतनभोगी कर्मचारी इसी फॉर्म का उपयोग करते हैं.

# चोलामंडलम का मुनाफा 46% उछला, पहली तिमाही शानदार

**रिकॉर्ड मुनाफे से चमका चोलामंडलम का वित्तीय प्रदर्शन**

**पहली तिमाही में कंपनी का कुल ऋण वितरण 29,612 करोड़**

**चेन्नई, 29 जुलाई. निवेश और ऋण कारोबार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 30 जून 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान कर पश्चात लाभ 1,654 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया जो पिछले वर्ष की समान अवधि के शुद्ध लाभ की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है.**

कंपनी के मंगलवार को जारी बिना आडिट किये गये तिमाही वित्तीय परिणाम के अनुसार आलोच्य तिमाही में कंपनी की कुल प्रबंधानाधीन परिसम्पत्तियां (एयूएम) 2,54,392 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है. 30 जून 2025 को एयूएम 2,07,663 करोड़ रुपये थीं. इस तिमाही की कंपनी की शुद्ध आय (नट इनकम) 4,930 करोड़ रही रही जो वार्षिक आधार पर 28 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है. कंपनी की एक विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कंपनी का कुल ऋण वितरण 29,612 करोड़ किया. इसी दौरान वाहन ऋण व्यवसाय के तहत पहली तिमाही में 16,503 करोड़ रुपये के कर्ज का वितरित किया गया. 30 जून तक इस व्यवसाय के तहत प्रबंधनाधीन परिसम्पत्तियां 1,24,132 करोड़ थीं जोपिछले वर्ष इसी अवधि में 1,04,720 करोड़ रुपये की एयूएम की तुलना में 19 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है. कंपनी ने सम्पत्ति के आधार पर कर्ज कारोबार में 23 प्रतिशत और आवास ऋण कारोबार में में 22 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दिखायी है. कंपनी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ऋण व्यवसाय 9,923 करोड़ रुपये पर 39 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है. कंपनी के उपभोक्ता ऋण कारोबार में 12 प्रतिशत और सिक्योर्ड बिजनेस एवं पर्सनल लोन व्यवसाय में 40 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई. गोल्ड लोन व्यवसाय के अंतर्गत पहली तिमाही में 754 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया. 30 जून 2026 तक इस व्यवसाय में एयूएम 2,143 करोड़ रुपये थी. कंपनी वर्तमान में 171 समर्पित शाखाओं के माध्यम से इस व्यवसाय का संचालन कर रही है.

> कंपनी के उपभोक्ता ऋण कारोबार में 12 प्रतिशत और सिक्योर्ड बिजनेस एवं पर्सनल लोन व्यवसाय में 40 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई. गोल्ड लोन व्यवसाय के अंतर्गत पहली तिमाही में 754 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया. 30 जून 2026 तक इस व्यवसाय में एयूएम 2,143 करोड़ रुपये थी. कंपनी वर्तमान में 171 समर्पित शाखाओं के माध्यम से इस व्यवसाय का संचालन कर रही है और इसमें निरंतर विस्तार जारी है.

# बीएचईएल को मिला सबसे बड़ा गैस टर्बाइन ऑर्डर

## बीएचईएल ने वैश्विक बाजार में फिर दर्ज की बड़ी सफलता

**नई दिल्ली, 29 जुलाई. भारत सरकार के उद्यम, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने नाइजीरिया के डांगोटे पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स फ्री जोन एंटरप्राइज से आठ (8) गैस टर्बाइन जेनरेटर पैकेजों की आपूर्ति और उनके निर्माण एवं चालू करने के पर्यवेक्षण का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर हासिल कर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमता को फिर से साबित किया है.**

कड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच हासिल किया गया यह ऑर्डर, डांगोटे समूह के हिस्से डांगोटे पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स फ्री जोन एंटरप्राइज, नाइजीरिया द्वारा दिया गया है. यह समूह अफ्रीका के सबसे बड़े और सबसे विविध व्यापारिक समूहों में से एक है, जिसका कारोबार तेल शोधन, पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक, सीमेंट, चीनी, पैकेजिंग और अन्य क्षेत्रों में फैला हुआ है. कार्य के दायरे में आठ गैस टर्बाइन जेनरेटर पैकेजों का निर्माण और आपूर्ति के साथ-साथ साइट पर निर्माण और कमीशनिंग गतिविधियों का पर्यवेक्षण शामिल है. इन उपकरणों का निर्माण बीएचईएल की हैदराबाद और बेंगलुरु स्थित इकाइयों में किया जाएगा. मात्रा और मूल्य दोनों के लिहाज से गैस टर्बाइन जेनरेटर पैकेजों के लिए आपूर्ति और पर्यवेक्षण के आधार पर कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा एकल (सिंगल) ऑर्डर होने के कारण, यह ऑर्डर बीएचईएल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह ऑर्डर दुनिया भर में बीएचईएल की पहुंच को और बढ़ाएगा तथा एक वैश्विक इंजीनियरिंग उद्यम के रूप में बीएचईएल की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा.

बीएचईएल ने कई अन्य अफ्रीकी देशों को विभिन्न प्रकार के उत्पादों और उपकरणों की आपूर्ति करने के अलाव मिस्र, इथियोपिया, लीबिया, रवांडा, सेनेगल और सूडान जैसे देशों में बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं के सफल निष्पादन के माध्यम से पूरे अफ्रीका में अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित की है.

> कंपनी ने इससे पहले नाइजीरिया की क्रॉस रिवर स्टेट सरकार को 26 मेगावाट गैस टर्बाइन जेनरेटर पैकेज की आपूर्ति और उसके निर्माण एवं कमीशनिंग के पर्यवेक्षण का ऑर्डर भी निष्पादित किया है. कंपनी 4 दशकों से अधिक समय से भारत और विदेशों में विभिन्न ग्राहकों को गैस टर्बाइनों का निर्माण और आपूर्ति कर रही है तथा गैस टर्बाइन और जेनरेटर के दुनिया के विश्वसनीय निर्माताओं में से एक है.

# बायोडील से पिरामल की सफल एग्जिट

**110 करोड़ के निवेश पर पिरामल को शानदार मुनाफा**

**पिरामल अल्टरनेटिव्स ने बायोडील से कमाया बड़ा रिटर्न**

**नई दिल्ली, 29 जुलाई. पिरामल अल्टरनेटिव्स ने मंगलवार को घोषणा की कि उसके पिरामल स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट ऑपर्च्युनिटीज फंड ने बायोडील फार्मास्यूटिकल्स में किये गये 110 करोड़ रुपये के निवेश से सफल एग्जिट हासिल किया है.**

निवेश की पूरी राशि को भुनाने के बाद फंड को 20 प्रतिशत से अधिक का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न (आईआरआर) मिला. दोनों कंपनियों के बीच मूल्य सृजन पर आधारित साझेदारी के सफल समापन के बाद यह एग्जिट तय किया गया. इस दौरान बायोडील ने परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करते हुए अपनी विनिर्माण क्षमता, कॉरपोरेट गवर्नेंस और परिचालन दक्षता को मजबूत किया तथा अगले विकास चरण के लिए मजबूत आधार तैयार किया. पिरामल अल्टरनेटिव्स ने वर्ष 2024 में बायोडील में 110 करोड़ रुपये का निवेश किया था. इस निवेश का उद्देश्य मजबूत कारोबारी आधार, तेज विकास क्षमता और स्केलेबल बिजनेस मॉडल वाली हेल्थकेयर एवं फार्मास्यूटिकल कंपनियों को विकास पूंजी उपलब्ध कराना था. अब इस निवेश की पूरी राशि भुनायी जा चुकी है और फंड को 20 प्रतिशत से अधिक का आईआरआर प्राप्त हुआ है. निवेश अवधि के दौरान बायोडील ने लगातार मजबूत प्रदर्शन किया.

# डीआरएम के निर्देश, साबरमती शेड बने आधुनिक मॉडल

**अहमदाबाद, 29 जुलाई. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने आज 29.07.2026 को साबरमती स्थित विद्युत लोकोमोटिव शेड का विस्तृत निरीक्षण किया तथा एम/एस अल्स्टॉम द्वारा निर्मित 300 उच्च क्षमता वाले डब्लूएजी -12 मालवाहक विद्युत इंजनों के अनुरक्षण हेतु विकसित की जा रही 113.63 करोड़ की अत्याधुनिक अवसंरचना परियोजना की प्रगति की समीक्षा की.**

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत विद्युत लोको शेड का विस्तार, अत्याधुनिक मरम्मत सुविधाओं का विकास, बोगी ड्रॉप पिट, व्हील अनुरक्षण सुविधाएँ, स्वचालित लोको वाशिंग प्लांट, ओवरहेड इलेक्ट्रिक प्रणाली तथा विद्युत एवं दूरसंचार संबंधी आवश्यक अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा. परियोजना के पूर्ण होने से डब्लूएजी -12 इंजनों के अनुरक्षण की क्षमता एवं गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे मालगाड़ियों के संचालन की दक्षता और विश्वसनीयता को और अधिक मजबूती मिलेगी.

निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने प्रस्तावित अवसंरचना, रेल लाइन लेआउट तथा अनुरक्षण योजना की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों के साथ तकनीकी चर्चा की. उन्होंने निर्देश दिए कि साबरमती विद्युत लोको शेड का विकास नागपुर, दाहोद, रोज़ा एवं सहारनपुर के आधुनिक विद्युत लोको शेडों की सर्वोत्तम अनुरक्षण प्रणालियों एवं सुविधाओं के अनुरूप किया जाए, ताकि अनुरक्षण कार्यों में गुणवत्ता, सुरक्षा, विश्वसनीयता तथा कार्यकुशलता के उच्चतम मानक सुनिश्चित किए जा सकें.

वेद प्रकाश ने यह भी निर्देशित किया कि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व वर्तमान लेआउट योजना में आवश्यक तकनीकी संशोधन एवं सुधार शामिल किए जाएँ, जिससे भविष्य की परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक, सुरक्षित, तकनीकी रूप से सक्षम एवं विश्वस्तरीय अनुरक्षण सुविधा विकसित की जा सके. निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ मण्डल मेकेनिकल इंजीनियर लोकोमोटिव शेड, साबरमती श्री एस.पी. गुप्ता सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी एवं विद्युत लोको शेड, साबरमती के अधिकारी उपस्थित रहे. अधिकारियों ने मंडल रेल प्रबंधक को परियोजना की प्रगति, प्रस्तावित विकास कार्यों तथा निर्माण की आगामी कार्ययोजना से अवगत कराया.

## औद्योगिक विकास दर जून में 7.3 प्रतिशत पहुंची

**नई दिल्ली, 29 जुलाई.** जून 2026 में देश की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर सालाना आधार पर 7.3 प्रतिशत रही. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) जून 2025 के 114.7 से बढ़कर जून 2026 में 123.1 पर पहुंच गया.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस वृद्धि में इलेक्ट्रिसिटी एवं गैस आपूर्ति सेक्टर सबसे आगे रहा, जहां 10.6 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई. मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 7.8 प्रतिशत और जल आपूर्ति, सीवरेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई. खनन एवं उत्खनन क्षेत्र की वृद्धि दर 1 प्रतिशत रही.

मैन्युफैक्चरिंग के 23 उद्योग समूहों में से 19 ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की. सबसे अधिक योगदान देने वाले तीन क्षेत्र रहे-
- इलेक्ट्रिकल उपकरण — 34 प्रश वृद्धि
- मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर — 17.5 प्रश वृद्धि
- खाद्य उत्पाद — 10.8प्रतिशत वृद्धि

खाद्य उत्पादों में चाय, चावल (बासमती को छोड़कर) और स्टार्च ने खास योगदान दिया.


**शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय: 501, सालकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली - 110025
CIN: U65900DL2020PLC366027

**कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8(1)**

चूंकि, नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, जो 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002' के तहत शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक (पहले शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड) के अधिकृत अधिकारी हैं, और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002' के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 13(12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, 19-05-2026 को 103041541910 के लिए एक डिमांड नोटिस जारी किया था। यह नोटिस 1. श्री राधेश्याम जटिया पुत्र श्री बालू जटिया (उधारकर्ता/गिरवी रखने वाले) 26, वार्ड नंबर 17, गांव डुमडुम, पोस्ट उदापुरा, तहसील और जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458895 और 2. श्रीमती राधा बाई पत्नि श्री राधेश्याम जटिया (सह-उधारकर्ता/गिरवी रखने वाले) 26, वार्ड नंबर 17, गांव डुमडुम, पोस्ट उदापुरा, तहसील और जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458895 को भेजा गया था, जिसमें नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया था। उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, उधारकर्ता(ओं) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे बताई गई संपत्ति का कब्जा, एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (4) और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002' के नियम 8 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, 28 जुलाई 2026 को ले लिया गया है। उधारकर्ता(ओं) और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे इस संपत्ति का कोई लेन-देन न करें; संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के रू. 5,22,000 (पांच लाख बाईस हजार मात्र) और उस पर लगने वाले ब्याज के दावे के अधीन होगा। सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

**अचल संपत्ति का विवरण:**

**संपत्ति पर इक्विटेबल मॉर्गेज: 1800 वर्ग फुट (167.22 वर्ग मीटर) की रिहायशी संपत्ति, जो हाउस नंबर 117, वार्ड नंबर 17, पीएच नं. 34, गांव डुमडुम, तहसील और जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में स्थित है। यह संपत्ति सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में सीरियल नंबर MP249392024A1410480 दिनांक 29-03-2024 के तहत रजिस्टर्ड है। यह संपत्ति श्री राधेश्याम जटिया पुत्र श्री बालू जटिया और श्रीमती राधा बाई पत्नी श्री राधेश्याम जटिया के नाम पर है।**

**सीमाएँ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| पूर्व | खुली भूमि | पश्चिम | खेमराज का घर |
| उत्तर | खुली भूमि | दक्षिण | आम सड़क |

दिनांक: 28.07.2026
स्थान: नोएडा

Sd/- प्राधिकृत अधिकारी
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड



**AURANGABAD SMART CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (ASCDCL)**

**REQUEST FOR PROPOSAL**

ASCDCL invites firms possessing relevant capabilities to respond to this RFP for following

| Sr.No. | Title and Tender ID No. | Bid Due Date | Bid Opening Date |
|---|---|---|---|
| 01 | Establishment of Chhatrapati Sambhajinagar Zoo - Supply of Trees for Plantation (SH: Horticulture Works) 2026_ASCDC_1322828_1 | 05 August 2026 | 07 August 2026 16:00 hrs. |

The tender document can be downloaded from
**https://www.mahatenders.gov.in**

Sd/-
**Chief Executive Officer**
Aurangabad Smart City Development Corporation Limited



**आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड**
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

**वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना**

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

| स. क्रं. | ऋण खाता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33556080 | होम लोन | 15-07-2026 | 2,87,871.49/- |

**उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम:** 1. जावेद खान 2. रुखसार बी मेवाती

**संपत्ति का पता:** भूमि सर्वेक्षण संख्या 2160, 2185, पीएच नंबर 12, ग्रामः गुलाना, तहसीलः गुलाना, जिलाः शाजापुर, मध्य प्रदेश-465220 में स्थित 900 वर्ग फुट या 83.64 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली वह संपत्ति, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में नशीब खान का घर, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में चेन सिंह की भूमि और दक्षिण में आम रास्ता।

| स. क्रं. | ऋण खाता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 34832382 & 62712987 | होम लोन | 18-07-2026 | 3,76,738.95/- |

**उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम:** 1. कामिल खां 2. सन्नो बी

**संपत्ति का पता:** वह अचल संपत्ति (आवासीय घर) जिसका माप 30 x 30 = 900 वर्ग फुट (83.64 वर्ग मीटर) है और जो सर्वे नंबर/आबादी खसरा नंबर 2160, 2185 के अंतर्गत आती है; यह संपत्ति मध्य प्रदेश-465220 राज्य के तहसील और जिला गुलाना (गाँवः गुलाना, पीएच नंबर 12) में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में गफूर खान का घर, पश्चिम में खुली जगह, उत्तर में चेन सिंह की जमीन, और दक्षिण में दस्ताखेड़ी रोड।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 30.07.2026
स्थान : मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)



**आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड**
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

**परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (जो पहले कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड थी और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ मिल गई है) के अधिकृत अधिकारी के तौर पर, 'फाइनेंशियल एसेट्स के सिक्युरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के एनफोर्समेंट एक्ट, 2002' के तहत और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 13(12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, मैंने 27.02.2025 को एक डिमांड नोटिस जारी किया था। इसमें उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता और गारंटर - 1. विष्णु ईश्वर 2. ईश्वर सिंह प्रहलाद 3. अनीता विष्णु - से कहा गया था कि वे नोटिस में बताई गई रकम (26.02.2025 तक रू. 7,36,590.66/- यानी सात लाख छत्तीस हजार पाँच सौ नब्बे और छियासठ पैसे मात्र) को डिमांड नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुका दें। उधारकर्ताओं द्वारा रकम न चुका पाने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि मैंने 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (4) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, नीचे बताई गई प्रॉपर्टी का फिजिकल कब्जा 23 जुलाई 2026 को ले लिया है। उधारकर्ताओं और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे इस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई लेन-देन न करें; प्रॉपर्टी के साथ किया गया कोई भी लेन-देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (जो पहले कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड थी और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ मिल गई है) के रू. 7,36,590.66/- (सात लाख छत्तीस हजार पाँच सौ नब्बे और छियासठ पैसे मात्र) और उस पर लगने वाले ब्याज के दावे के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो सिक्योर्ड एसेट्स को छुड़ाने (रिडीम करने) के लिए उपलब्ध समय के बारे में है।

**अचल संपत्तियों का विवरण।**

**प्लॉट/घर नंबर 18 का वह पूरा हिस्सा और टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 190.07 वर्ग मीटर है, जो गाँवः सादिकखेड़ी, पीएच नंबर 18, तहसीलः तराना, ज़िलाः उज्जैन, मध्य प्रदेश-456665 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- पूर्वः सड़क, पश्चिमः श्री बाबूलाल का घर और सड़क, उत्तरः श्री करण सिंह का घर, दक्षिणः श्री मोहनलाल की जमीन।**

दिनांक: 23.07.2026